न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 40 / 2025

बउनवान

मथुरालाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली, निवासी केवड़ा, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :— 1. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 19.01.2026

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 18.02.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम केवड़ा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 0.80 है. किस्म चारागाह, पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर दिनांक 18.02.2025 को निर्णय पारित कर 440/— रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट ने तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है भूमि खाली पड़ी हुई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2025 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयै सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो खेतीबाड़ी करने में सक्षम नहीं है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर सजायाब करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.18 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

बारां (राज॰)

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2081 में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 106/24 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जाये।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया संपूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख०नं० 440 रकबा 0.80 हे० किस्म चारागाह ग्राम केवडा पर सम्वत् 2081 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 106/24 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2024 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 175/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.18 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested